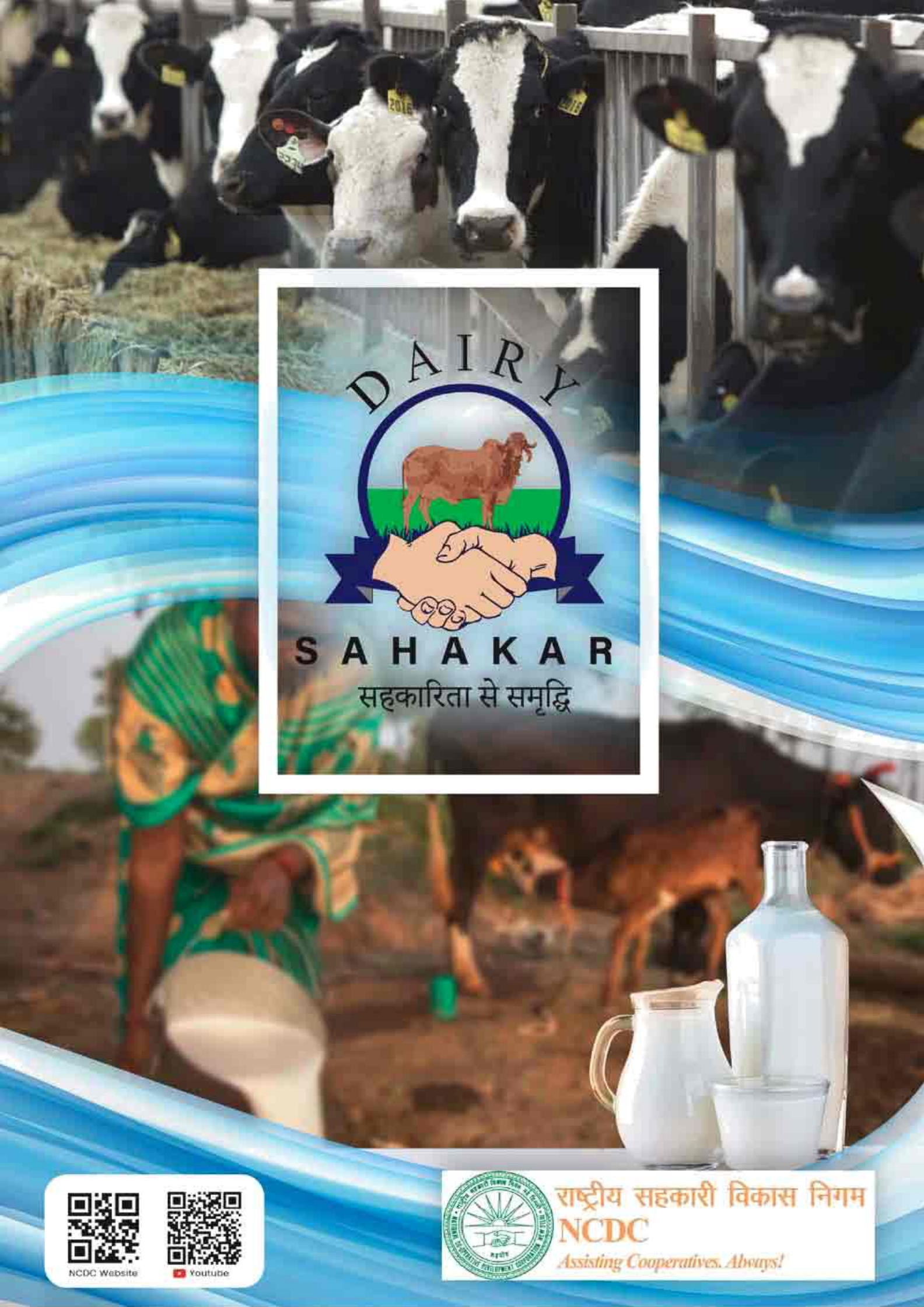
DAIRY
SAHAKAR
सहकारिता से समृद्धि
NCDC Website
Youtube
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!

The first meeting of Ministry of Cooperation taken by the first Minister for Cooperation of India **Shri Amit Shah Ji** on 9 July 2021

डेयरी सहकार

संक्षेप में

"सहकारिता से समृद्धि" की परिकल्पना को आत्मसात करने हेतु, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा डेयरी सहकार, सहकारी डेयरी व्यवसाय पर केन्द्रित रूपरेखा है जिसका उद्देश्य सहकारिताओं को ईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन) से संबंधित गतिविधियों में प्रोत्साहित कर उच्चतर परिणाम प्राप्त करना है । इसमें सहकारी समितियों द्वारा नए या आधुनिकीकरण और/या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण सम्मिलित है।

डेयरी सहकार के तहत, "किसानों की आय को दोगुना करना" और "आत्मनिर्भर भारत" के समग्र उद्देश्यों के अंतर्गत एनसीडीसी द्वारा गोवंशीय पशुओं के विकास, दूध की खरीद, दूध एवं दूध उत्पादों के प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, परिवहन, भंडारण, डेयरी उत्पादों के निर्यात जैसी गतिविधियों के लिए पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता में सहायक गतिविधियों और सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा, जैसे अक्षय ऊर्जा, आईसीटी, पशु चारा / चारा सप्लीमेंट का निर्माण, आर एंड डी, पीईटी बोतल / पैकेजिंग सामग्री निर्माण, डेयरी उपकरण और मशीनरी का निर्माण, डेयरी से संबंधित रखरखाव सेवाएं, पशु चिकित्सा दवाओं, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी, पशु चिकित्सा / डेयरी शिक्षा, क्षमता निर्माण आदि।

एनसीडीसी दिशानिर्देशों के तहत कोई भी पात्र सहकारी समिति सहायता के लिए आवेदन कर सकती है जो बुनियादी ढांचे के निर्माण, मार्जिन मनी और कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट लिंकेज के रूप में हो सकती है, जो अन्य स्रोतों से सब्सिडी या ब्याज सहायता के साथ संघटित हुई है, जैसा कि यहां स्पष्ट किया गया है।

योग्य सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर कोई भी न्यूनतम अथवा अधिकतम सीमा नहीं है।

एनसीडीसी के विषय में

एनसीडीसी भारत सरकार द्वारा 1963 में संसद के एक अधिनियम के तहत प्राथमिक, जिला, शीर्ष / बहु-राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के लिए स्थापित एक शीर्ष स्तर की सांविधिक स्वायत्त संस्था है। यह उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक सामान, पशुधन, वस्तुओं और सेवाओं जैसे पर्यटन, ग्रामीण आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, बैंकिंग, अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि के निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना तथा संवर्धन सहकारी सिद्धांतों पर करता है। एनसीडीसी भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह सरकार के किसी भी बजटीय समर्थन के बिना, खुले बाजार के सिद्धांतों पर काम करता है।

एनसीडीसी एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संगठन है। यह अपने 18 क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के माध्यम से मूल्यांकन और अनुमोदन की एक सरल, पारदर्शी और मजबूत प्रणाली का पालन करता है। यह सहकारी समितियों के लिए सबसे पसंदीदा वित्तीय संस्थान है।एनसीडीसी द्वारा स्थापित लिनाक, भारत और विदेशों में सहकारी समितियों को परियोजना परामर्श, अनुसंधान और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है।

अपने सहकार-22 रुपरेखा के माध्यम से, एनसीडीसी किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 1963 में 2.36 करोड़ रुपये के संवितरण के साथ प्रारंभ करते हुए, एनसीडीसी ने वर्ष 2019-20 में 27703 करोड़ रुपये का वितरण किया। इसने अब तक सहकारी समितियों को लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपये का संवितरण किया है, जिसमें 99% से अधिक की वसूली हुई है। यह वर्ष 1963 से हर साल शून्य शुद्ध एनपीए के साथ लाभ कमा रही है। एनसीडीसी ने पिछले 7 वर्षों की तुलना में 2014-21 के दौरान संवितरण में 319% की वृद्धि दर्ज की है।

डेयरी व्यापार सहकारिताएं

भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2019-20 के दौरान देश ने 198.40 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 406 ग्राम/दिन है। यह पोषण के सर्वोत्तम स्रोतों में से एक है। मार्च 2020 तक भारत में 1,94,195 डेयरी सहकारी समितियां थीं। वे 5.33 मिलियन महिलाओं सहित लगभग 17.22 मिलियन डेयरी किसानों को सीधे लाभान्वित करते हैं। दूध के उत्पादन का मूल्य वर्ष 2018-19 के दौरान 7.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।

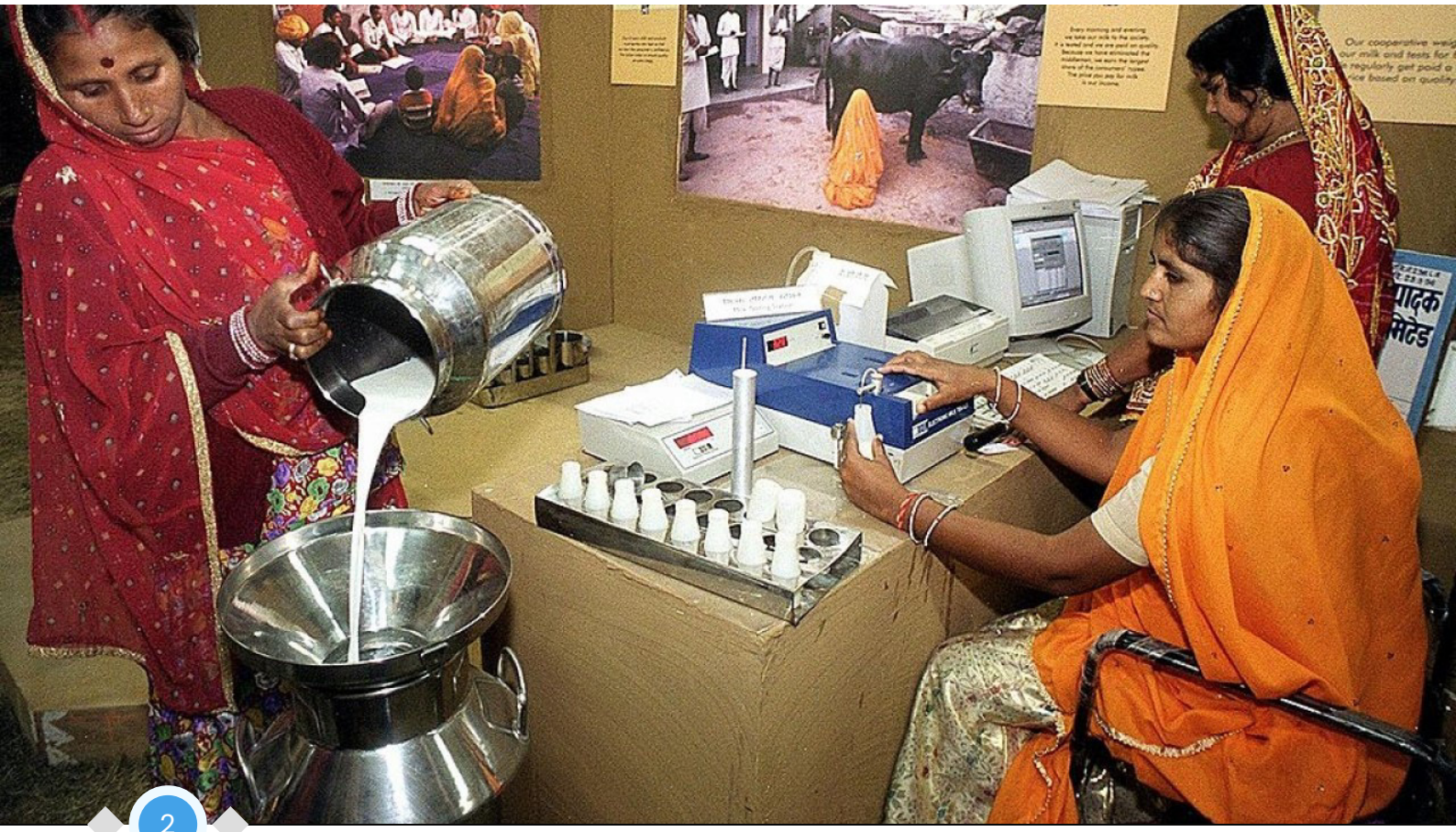

उद्देश्य

"सहकारिता से समृद्धि" की परिकल्पना को आत्मसात करने हेतु, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा डेयरी सहकार, सहकारी डेयरी व्यवसाय पर केन्द्रित रूपरेखा है जिसका उद्देश्य सहकारिताओं को ईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन) से संबंधित गतिविधियों में प्रोत्साहित कर उच्चतर परिणाम प्राप्त करना है । इसमें सहकारी समितियों द्वारा नए या आधुनिकीकरण और/या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण सम्मिलित है।

एनसीडीसी द्वारा डेयरी सहकार के अंतर्गत "किसानों की आय को दोगुना करना" और "आत्मनिर्भर भारत" के समग्र उद्देश्यों के अंतर्गत पात्र सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

> ***"डेयरी सहकारी मॉडल पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल के लिए एक व्यवहार्य आर्थिक विकल्प है ।"***
>
> **– श्री नरेंद्र मोदी**
> माननीय प्रधानमंत्री

डेयरी क्षेत्र में एनसीडीसी

वर्ष 1963 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक, एनसीडीसी ने डेयरी सहकारिताओं की 13075 इकाइयों हेतु 3071.20 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता स्वीकृत की है । एनसीडीसी द्वारा डेयरी सहकारिताओं को दी गई कुल वित्तीय सहायता का 75% पिछले सात वर्षों में प्रदान किया गया है । वर्ष 2014-15 से एनसीडीसी ने 31 डेयरी संघों/यूनियंस/समितियों को सहायता प्रदान की है, जिसमें 18575 ग्रामीण डेयरी सहकारिताएं शामिल हैं, जिससे 53,42,692 सदस्य लाभान्वित हुए हैं ।

पात्रता

कोई भी सहकारी समिति जोकि किसी भी राज्य/बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम या देश में किसी भी एफपीओ/एसएचजी (सहकारी) के अंतर्गत पंजीकृत होने के साथ डेयरी से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए अपने उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान के साथ, इस स्कीम के तहत दिशानिर्देशों की पूर्ति की शर्त पर वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी ।

सहाकारिताओं को एनसीडीसी वित्तीय सहायता या तो राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र अथवा प्रत्यक्ष रुप से एनसीडीसी प्रत्यक्ष वित्त पोषण हेतु लागू स्कीम के दिशानिर्देशों एवं मानदंडों की पूर्ति किये जाने पर प्रदान की जायेगी ।

सम्मिलन

एनसीडीसी क्रेडिट लिंकेज का भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं (जैसे डीआईडीएफ, एएचआईडीएफ, एनपीडीडी, सीएसआईएसएसी, आरकेवीवाई, एआईएफ, एफपीओ, पीएम किसान एसवाई, पीएम एफएमई, एमएसएमई संबंधित, एनएसटीएफडीसी आदि) तथा/या किसी अन्य राज्य सरकार के साथ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/विकास एजेंसियों / द्विपक्षीय / बहुपक्षीय सहायता / सीएसआर तंत्र के साथ सम्मिलन को प्रोत्साहित किया जाता है ।

डेयरी सहकार के अंतर्गत सांकेतिक गतिविधियां

संकेतित गतिविधियां, इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

क्र.सं.	मंडल पात्रता	मंडल अवयव के अंतर्गत पात्र कार्यकलाप
1.	नई तथा आधुनिकीकरण का सृजन तथा/या वर्तमान दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुविधाओं का विस्तारण	गुणवत्ता तथा स्वच्छ दूध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग सुविधाओं हेतु नई इकाइयों की स्थापना तथा वर्तमान डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों का सुदृढ़ीकरण (आधुनिकीकरण / विस्तार)।
2.	मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण सुविधाएं	मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद निर्माण जैसे आइसक्रीम यूनिट, पनीर निर्माण इकाई, पैकेजिंग सुविधाओं के साथ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध प्रसंस्करण इकाई, फ्लेवर्ड मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, व्हे पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, घी, बटर मिल्क / कण्विति उत्पाद निर्माण इकाई, मक्खन बनाने वाली इकाई और कोई अन्य दुग्ध उत्पाद और मूल्यवर्धन विनिर्माण इकाई।
3.	दुग्ध प्रशीतन अवसंरचना	बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी)/स्वचालित दूध संग्रह इकाइयों (एएमसीयू)/दूध शीतलन केंद्रों की स्थापना/रेफ्रिजरेटेड वैन/इंसुलेटेड दूध टैंकरों की खरीद।

4.	इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण उपकरण की स्थापना	इलेक्ट्रॉनकि दूध परीक्षण उपकरण / मलिावट परीक्षण उपकरण की स्थापना
5.	परियोजना प्रबंधन एवं अध्ययन	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना कार्यान्वयन टीम के लिए प्रशासन लागत
6.	डेयरी क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य गतिविधि	• विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना • गोजातीय विकास और संबंधित गतिविधियाँ। • आला दुग्ध उत्पाद जैसे ऊंट/बकरी के दूध से संबंधित परियोजनाएं • दुधारू पशुओं के लिए चारा उत्पादन और भंडारण प्रणाली। • खरीद (जैसे मिल्क कैन, स्वचालित मिल्किंग मशीन आदि), प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग। • पशु चिकित्सा/डेयरी शिक्षा • डेयरी उपकरण और मशीनरी निर्माण, डेयरी से संबंधित रखरखाव सेवाएं, पशु चिकित्सा दवाओं का निर्माण, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा वितरण आदि। • मवेशी चारा/चारा पूरक पौधे • दुग्ध परिवहन प्रणाली (रीफर वैन/इंसुलेटेड टैंकर आदि) • ई-मार्केट सिस्टम, बल्क वेंडिंग सिस्टम, पार्लर, रिटेल आउटलेट, डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज आदि सहित विपणन संरचना । • कोमोडिटी एवं मवेशी चारा गोदाम • आईसीटी (जैसे ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी, सर्वर, आईटी समाधान, रीयल टाइम डिवाइस आदि) • अनुसंधान एवं विकास (प्रयोगशाला और उपकरण, नई तकनीक, नवाचार, उत्पाद विकास आदि) • ऊष्मायन केंद्र। • नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना/संयंत्र, ऊर्जा दक्षता अवसंरचना। तीनों मामलों में, उत्पन्न या सहेजी गई ऊर्जा वर्तमान संयंत्र/बीएमसी इकाई/दूध संग्रह इकाई आदि की लागत को कम करने के लाभ के लिए होनी चाहिए। • जैव-गैस संयंत्र, यंत्रीकृत गोबर संग्रह प्रणाली आदि सहित खाद मूल्य श्रृंखला। • डेयरी प्रयोजनों के लिए पीईटी बोतल/पैकेजिंग सामग्री निर्माण इकाइयां आदि।

परियोजना की लागत

पात्र सहकारी समितियों द्वारा प्रत्यक्ष रुप से या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से एनसीडीसी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय और परिचालन कार्यनिष्पादन के साथ व्यवहार्य प्रस्तावों के मामले में परियोजना लागत पर कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। परियोजना लागत में बुनियादी ढांचा, मार्जिन मनी एवं कार्यशील पूंजी शामिल है।

ऋण अवधि

सामान्यतः ऋण की अवधि 5 से 8 वर्षों की होगी, जिसमें परियोजना के प्रकार एवं राजस्व धाराओं के आधार पर मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1 से 3 वर्षों की अधिस्थगन सम्मिलित है । भारत सरकार की विशिष्ट योजना के मामलों जैसे डी.आई.डी.एफ., ए.एच.आई डी.एफ., एन.पी.डी.डी, सी.एस.आई.एस.ए.सी., आर.के.वि.वाई., ए.आई.एफ., एफ.पी.ओ, पी.एम.किसान, पी.एम. एफ.एम.ई, एम.एस.एम.ई. संबंधित, एन.एस.टी.एफ.डी.सी. आदि में संबंधित ऋण अवधि लागू होगी ।

वित्तीय पोषण पद्धति

सामान्यतः परियोजनाओं को निम्नलिखित वित्तीय सहायता पद्धति के आधार पर एनसीडीसी द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है ।

क. अवसंरचना निर्माण (परियोजना सुविधाएं)

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से वित्तीय पोषण		प्रत्यक्ष वित्तीय पोषण
एनसीडीसी से राज्य सरकार/ सं.रा.क्षे. को	राज्य सरकार/ सं.रा.क्षे. से समिति को	एनसीडीसी से समिति को
वित्तीय सहायता/ ऋण * 95% तक	ऋण - 50% हिस्सा पूँजी* - 45% तक	वित्तीय सहायता/ ऋण *90% तक
समिति का हिस्सा –5 से 20 %	समिति का हिस्सा – 5 से 20%	समिति का हिस्सा 10 से 35 %

टिप्पणी:

भारत सरकार की विशिष्ट योजनाओं जैसे डी.आई.डी.एफ., ए.एच.आई डी.एफ., एन.पी.डी.डी, सी.एस.आई.एस.ए.सी., आर.के.वि.वाई., ए.आई.एफ., एफ.पी.ओ, पी.एम.किसान, पी.एम. एफ.एम.ई, एम.एस.एम.ई. संबंधित, एन.एस.टी.एफ.डी.सी. इत्यादि और/ या एनसीडीसी योजनाओं के दिशा-निर्देश लागू होंगे ।

* यदि केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/ विकासत्मक एजेंसियों/ द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय सहायता/ सीएसआर तंत्र की किसी भी योजना के अंतर्गत सब्सिडी/ अनुदान क्रेडिट लिंकेज के रूप में जोड़ा जाता है, तो ऋण राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी ।

ख. व्यवसायिक विकास हेतु मार्जिन मनी

राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से वित्तीय पोषण		प्रत्यक्ष वित्तीय पोषण
एनसीडीसी से राज्य सरकार/ सं.रा.क्षे. को	एनसीडीसी से राज्य सरकार/ सं.रा.क्षे. को	एनसीडीसी से समिति को
Loan* for availing Bank credit. 100%**	Loan* or Share Capital or Loan- cum-Share-capital. 100%**	Loan* 100%**

*यदि केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/ विकासत्मक एजेंसियों/ द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय सहायता/ सीएसआर तंत्र की किसी भी योजना के अंतर्गत सब्सिडी/ अनुदान क्रेडिट लिंकेज के रूप में संयोजित किया जाता है, तो ऋण राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी ।

**मार्जिन मनी सहायता की पात्रता एनसीडीसी मूल्यांकन के अधीन होगी ।

ग. कार्यशील पूँजी

आवश्यकतानुसार एनसीडीसी मूल्यांकन के अधीन ।

कार्यान्वयन सीमा

सरकारी बजटीय सहायता की मदद के बिना एनसीडीसी द्वारा डेयरी सहकारिताओं संबंधी सहायता की रूपरेखा में, डेयरी सहकार में इस स्तर पर किसी भी प्रकार का सनसेट क्लोज(गिरावट) उल्लिखित नहीं है । शुरुआती अवधि में यह सीमा पांच वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए है ।

ब्याज दर

क्रेडिट लिंकेज हेतु, बाजार की स्थितियों के आधार पर प्रकाशित ऋणों पर ब्याज दर से संबंधित एनसीडीसी परिपत्र समय-समय पर जारी किए जायेंगे ।

ब्याज सबवेंशन / सब्सिडी

भारत सरकार की लागू योजना/ संघटन योजना तंत्र के अनुसार ब्याज सबवेंशन या सब्सिडी के रूप में सहायता को स्वीकार किया जाएगा ।

सुरक्षा

एनसीडीसी सहायता या तो प्रत्यक्ष वित्त पोषण के तहत या राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से प्रदान की जाती है ।

प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, सहकारी समिति एनसीडीसी स्वीकृति के अधीन किसी एक या निम्नलिखित के संयोजन में ऋण के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकती है:

i. एनसीडीसी ऋण के 1.25 से 1.5 गुना की सीमा तक, परियोजना के तहत निर्मित परिसंपत्तियों सहित परिसंपत्तियों का गिरवी रखना;
ii. राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/ केंद्र सरकार द्वारा गारंटी;
iii. अनुसूचित बैंकों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडीआर को एनसीडीसी ऋण के 1.1 से 1.2 गुना तक गिरवी रखना;
iv. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/ सांविधिक निकायों/ सीपीएसयू के सीएसआर फाउंडेशनों द्वारा गारंटी;
v. अनुसूचित बैंकों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों से गारंटी;
vi. एनसीडीसी ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक सरकारी बांडों/ प्रतिभूतियों का मालबंधन एवं समनुदेशन;
vii. सहकारी समितियों/ संघों को कार्यशील पूंजी ऋण स्टॉक/ देनदारों/ अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम मार्जिन 20% रखा जा सकता है । यदि आवश्यक समझा गया तो एनसीडीसी अतिरिक्त सुरक्षा की मांग भी कर सकता है ।
viii. विश्वसनीय सहकारी संस्थाओं की गारंटी, अर्थात सुदृढ़ वित्तीय स्थिति एवं प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाली संस्था;
ix. लघु किसानों के कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी)/ पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई)/ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)/ क्रेडिट गारंटी फंड की गारंटी;
x. सावधि जमा प्राप्तियों (एफडीआर) के रूप में निदेशक मंडल/सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी ।

निधियों का संवितरण

एनसीडीसी सहायता स्वीकृति एवं संवितरित पत्रों के नियमों व शर्तों के अनुसार संवितरित की जाती है । परियोजनाओं का त्वरित एवं सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सब्सिडी के स्थान पर पात्र को ऋण प्रदान किया जा सकता है । जब कभी भी एनसीडीसी को आगे के संवितरण हेतु सरकारी सब्सिडी प्राप्त होगी, तब सरकारी सब्सिडी को सब्सिडी के स्थान पर दी जाने वाली ऋण राशि में समायोजित किया जाएगा ।

विकासात्मक क्षमता

सहकारी समितियों का क्षमता निर्माण एनसीडीसी की एक सतत गतिविधि है और यह डेयरी सहकार के लिए निगम की प्रचार तथा विकास संबंधी गतिविधि के रूप में उपलब्ध होगी । डेयरी सहकारिताओं के सदस्यों को गुरुग्राम में लिनाक या देश भर में इसके 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं ।

समुचित सावधानी

एनसीडीसी किसी भी परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने से पहले मूल्यांकन एवं समुचित सावधानी के अपने मानक अभ्यास का पालन करेगा ।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.ncdc.in की वेबसाइट देखें या वेबसाइट पर उपलब्ध पते एवं संपर्क नंबरों पर एनसीडीसी क्षेत्रीय कार्यालयों/ मुख्यालय से संपर्क करें ।

DAIRY
SAHAKAR
सहकारिता से समृद्धि

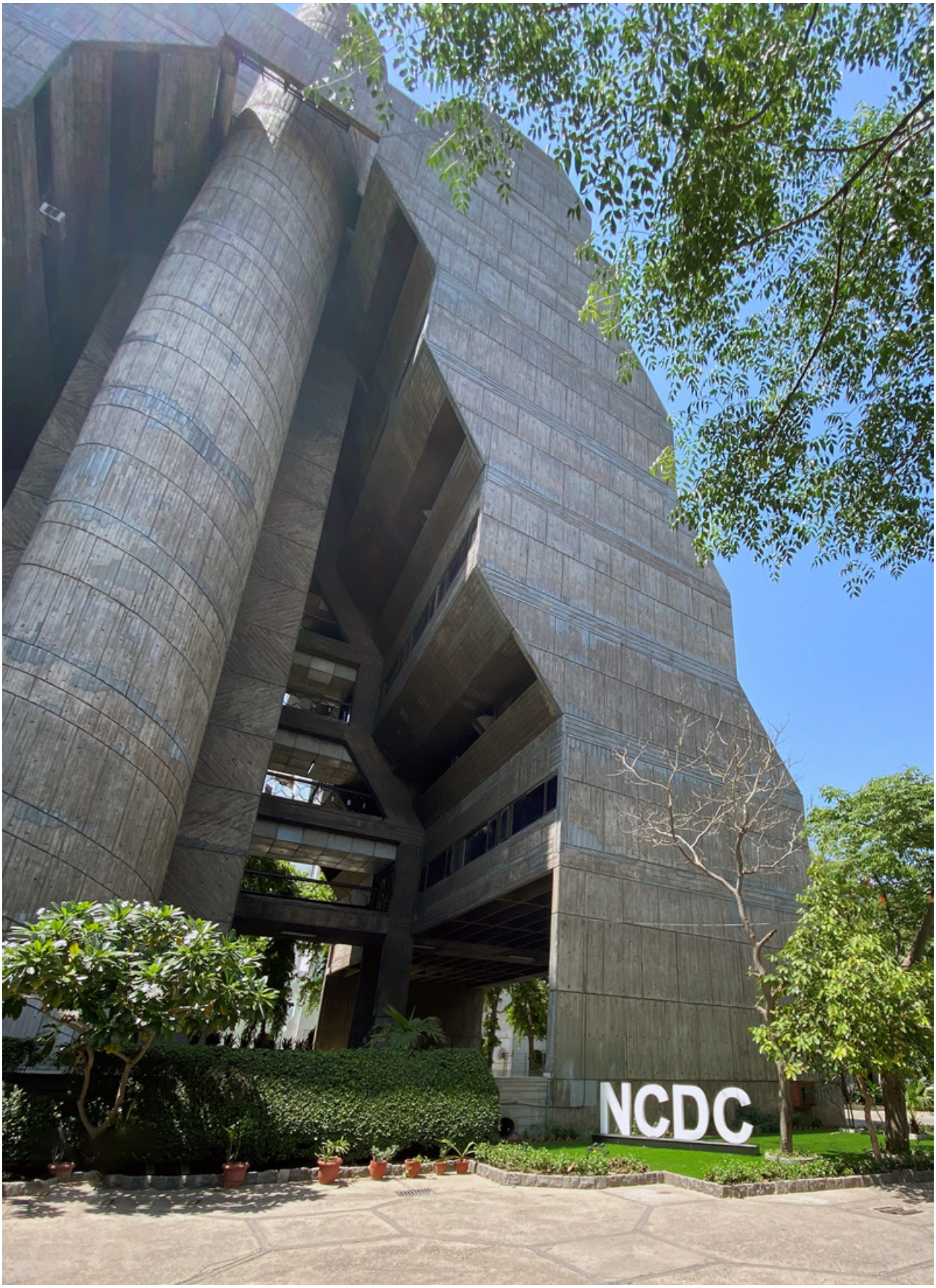

DAIRY SAHAKAR
सहकारिता से समृद्धि

National Coocperative Development Corporation
4 Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Dehli 110016, INDIA
www.ncdc.in | mail@ncdc.com

NCDC Website

Youtube